अध्याय–4

4. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा किये गये लेन–देन की नमूना जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है ।

सरकारी कम्पनियाँ

विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एस.ई.जेड) इंदौर

4.1 अधिभार का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा उर्जा बिलो के समय पर भुगतान में असफलता के परिणामस्वरूप राशि ₹ 31.74 लाख का अतिरिक्त/परिहार्य व्यय

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) लिमिटेड, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.) के साथ एस.ई.जेड. में स्थापित औद्योगिक ईकाईयो के लिये आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति हेतु एक समझौता किया (अक्टूबर 2010) । म.प्र.प.क्षे.वि.वि. क.लि. ऊर्जा आपूर्ति के लिये प्रत्येक माह बिल की दिनांक से चैक द्वारा भुगतान हेतु 13 दिन और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान हेतु 15 दिन का समय देते हुये मांग बिल जारी करती है। स्टेट बैक ऑफ इंडिया औद्योगिक एस्टेट (आई.ई.) मरीमाता शाखा द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/आहरित चैक्स द्वारा भुगतान ही नकद के रूप में मान्य है । अन्य बैक द्वारा अन्य कोई भी माध्यम देय तिथि से तीन दिवस पूर्व ही जमा हो जाना चाहिये, एवं इस तरह असफल रहने पर म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. एवं एस.ई.जेड. के मध्य हुये समझौते के उपवाक्य 02 की शर्तो के अधीन अधिभार आरोपित किया जायेगा । चूंकि कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.ए.के.व्ही.एन.) इंदौर की सहायक कम्पनी है अतः इसके सभी लेनदेन संरक्षक कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (इंदौर) के बैंक खाते के माध्यम से ही किये जाते है ।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.को भुगतान किये गये ऊर्जा बिलो की समीक्षा (अगस्त 2012) में हमने पाया कि कंपनी ने देय तिथि से 15 से 17 दिनो के बाद 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान ऊर्जा बिलो का भुगतान किया यद्पि कम्पनी के पास अधिक्य कोष था । देरी से भुगतान के कारण म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. ने ऊर्जा बिलो पर ₹ 31.74 लाख[1] का अधिभार आरोपित किया इसके अतिरिक्त, स्टेट बैक ऑफ इंडिया, आई.ई. मरीमाता शाखा के अतिरिक्त बैको के चैक्स के माध्यम से बिलो का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 03 अतिरिक्त दिवस के लिये अधिभार आरोपित किया गया ।

यद्यपि मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने दिसम्बर 2007 में उच्च दाब बिलो के भुगतान के लिये रियल टाईम ग्रास सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) सुविधा प्रारंभ की थी, कम्पनी द्वारा मई 2011 तक चैक्स के माध्यम से भुगतान किया जाता रहा था परिणामस्वरूप चैक्स क्लीयरेन्स दिनांक तक के लिये अधिभार भुगतान हुआ । जून 2011 से ही आर.टी.जी.एस. सुविधा का उपयोग हो सका । इस तहत, कम्पनी उर्जा बिलो के समय

[1] उर्जा बिलो में भुगतान में देरी पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से आरोपित दण्डित अधिभार ।

पर भुगतान में असफल रही जबकि पर्याप्त कोष उपलब्ध था परिणामस्वरूप राशि ₹ 31.74 लाख के अधिभार का परिहार्य भुगतान हुआ ।

प्रकरण सरकार को भेज दिया गया है (जून 2013) एवं उत्तर प्रतीक्षित है । (दिसम्बर 2013)

4.2 आयकर का परिहार्य भुगतान

आयकर छूट का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप आयकर एवं ब्याज की राशि ₹ 13.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) लिमिटेड (इंदौर) कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 20 फरवरी 2003 को एस.ई.जेड के अंतर्गत भूमि के आधार मूल संरचना के विकास जैसे सड़क निर्माण, विकास तंत्र, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति एवं मरम्मत कार्य सम्पादित करना आदि कार्य आते है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आई.ए. (1) के अनुसार जहाँ कर निर्धारित की सकल कुल आय ऐसे किसी लाभ एवं प्राप्ति को शामिल करती है जो कि एक उघोग के उपक्रम के किसी व्यवसाय जैसे – किसी अधोसंरचना सुविधा के विकास या संचालन या मरम्मत कार्य से हो, वहाँ इस धारा के प्रावधानो के अनुसार कर निर्धारिती के कुल आय की गणना में 10 निरन्तर कर–निर्धारण वर्षो के लिये इस तरह के व्यवसाय से प्राप्त आय/लाभ के 100 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती स्वीकार्य होगी एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आई.ए. (2) के अनुसार उपरोक्त कटौती, कर निर्धारिती के विकल्प पर उपक्रम या औद्योगिक इकाई द्वारा किसी अधोसंरचना सुविधा के विकास एवं संचालन आरम्भ करने के 15 वर्षो में से किसी भी 10 निरन्तर वर्षो के लिये दावे योग्य होगी । एस.ई.जेड. इंदौर के अभिलेखो की समीक्षा में हमने पाया (अगस्त 2012) कि कम्पनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आई.ए. (4) (iii) के अंतर्गत आयकर भुगतान के दायित्व से मुक्त थी। हमने यह भी पाया कि कम्पनी ने वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि में राशि ₹ 11.93 करोड़ आयकर के लिये एवं राशि ₹ 1.32 करोड़ अधिनियम की धारा 234 (ए.बी.सी.)[2] के प्रावधानो के पालन न करने के लिये ब्याज के रूप में भुगतान किया । बहरहाल, एस.ई.जेड. ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–आई.ए. के प्रावधानो का लाभ नही लिया जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 13.25 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2012) कि विकासकर्ता में परिवर्तन के लिये एस.ई.जेड अधिनियम, 2005 में कोई प्रावधान नही है एवं एस.ई.जेड अधिनियम, 2005 एवं आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानो एवं अन्य निर्मित नियमो के अनुसार कर मुक्ति लाभ केवल अधिसूचित विकासकर्ता को ही उपलब्ध है जैसे मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड।

उत्तर स्वीकार्य नही है । क्योकि आयकर अधिनियम के उक्त प्रावधान यह उपलब्ध करता है कि यदि कोई औद्योगिक उपक्रम जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करता है 01 अप्रैल 2001 को या इसके पश्चात इस विशेष आर्थिक क्षेत्र का संचालन एवं मरम्मत कार्य किसी अन्य विकासकर्ता ऐजेन्सी/ईकाई को हस्तान्तरित कर देता है उस स्थिति में हस्तान्तरित विकासकर्ता को आयकर की छूट प्राप्त करने की पात्रता है ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया (जून 2013) एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (दिसम्बर 2013)

[2] किसी कर निर्धारण वर्ष में आयकर विवरण निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत करना या कर निर्धारित देय अग्रिम आयकर निर्धारित कुल कर के 10 प्रतिशत से कम हो या कर निर्धारित अग्रिम आयकर भुगतान में असफल रही है।

4.3 त्रुटिपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय

ऊर्जा के क्रय के लिये मांग निर्धारण में त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.23 करोड़ का परिहार्य व्यय।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) लिमिटेड (इंदौर) की स्थापना निर्यात आधारित उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार की स्वीकृति से एक विशेष उद्देश्य साधन के रूप में की गयी । क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक ईकाईयो के लिये ऊर्जा आपूर्ति की व्यवस्था के क्रम में, कंपनी ने 5000 के.वी.ए. की संविदा मांग के लिये नवम्बर 2009 में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.) के साथ एक समझौता किया । दिसम्बर 2009 में कंपनी ने 3000 के.वी.ए. अतिरिक्त भार के लिये आवेदन किया एवं जनवरी 2010 में समझौता किया। मई 2010 में 3000 के.वी.ए. के एक और अतिरिक्त भार के लिये आवेदन किया गया । 8000 के.वी.ए. के संविदा मांग को बहरहाल बढ़ाकर 10,000 के.वी.ए. (जैसे 2000 के.वी.ए. वृद्धि) किया गया एवं जुलाई 2010 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए । यद्यपि माह जून 2010 में ही वास्तविक आहरित ऊर्जा भार 13000 के.वी.ए. से अधिक था । कंपनी ने अगस्त 2010 मे फिर से 4000 के. व्ही.ए. भार बढ़ाने के लिये आवेदन किया जिसे अगस्त 2010 में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन से सितम्बर 2010 में स्वीकृति दी गई, शर्तो के अधीन[3] ।

हमने पाया (अगस्त 2012) कि अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 की अवधि के कम्पनी द्वारा वास्तविक मांग 11600 के.वै .ए. से 14000 के.वी.ए. के मध्य रही । जबकि उक्त अवधि के लिये संविदा मांग 8000 के.वी.ए. से 10,000 के.वी.ए. ही थी । यद्यपि, कम्पनी द्वारा वास्तविक आहरित मांग स्वीकृत मांग से अधिक रही एवं कम्पनी ने आवश्यकतानुसार मांग भार में वृद्धि के लिये तुरन्त कार्यवाही नही की जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने प्रथम 15 प्रतिशत आधिक्य के लिये सामान्य मांग अधिभार की तुलना में 1.5 गुना एंव शेष के लिये 2 गुना अधिक मांग अधिभार किया जिसकी कुल राशि 1.30 करोड़ थी। यदि कंपनी ने अप्रैल 2010 में ही 14000 के.वी.ए. भार के लिये आवेदन किया होता तो उस स्थिति में अधिक मांग अधिकार का भुगतान देय नही होता एवं अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 की अवधि के लिये स्थाई प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की कुल राशि पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भार ही आरोपित किया जाता जिसकी राशि केवल ₹ 7.00 लाख ही होती । अतः कम्पनी उस मांग का अनुमान पूर्व में ही करके राशि ₹ 1.23 करोड़[4] के अतिरिक्त व्यय को त्यागा जा सकता था कम्पनी इस तरह किये गये आधिक्य मांग प्रभार की उद्यमियों से वसूली करने में भी असफल रही या उन्हे मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा वृद्धि भार स्वीकृति तक वास्तविक भार तक ही प्रतिबंधित रखा । इस तरह अधिक मांग प्रभार के भुगतान को आरोपित नही किया जा सका एवं कंपनी द्वारा कुल अधिक मांग प्रभार स्वयं के द्वारा ही वहन किया गया ।

प्रकरण कंपनी/सरकार को सूचित किया गया (अगस्त 2013) एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (फरवरी 2014)

[3] 4000 के.वी.ए. अतिरिक्त की आपूर्ति की अनुमति 31 मार्च 2011 तक है। आपूर्ति बहुआयामी फीडर का प्रयोग करते हुये 33 के. वी. लाईन पर की जायेगी उपभोक्ता को स्थाई प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की कुल राशि पर 3% की दर से प्रभार देय होगा।

[4] ₹ 1.3 करोड़ – ₹ 0.07 करोड़

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड

4.4 भूमि आवंटन में आवश्यक अविराम परीक्षा कार्य करने में असफलता

समस्त भूमि आवंटन में आवश्यक अविराम परीक्षण कार्य की असफलता के परिणामस्वरूप रियायती दर के कारण राशि ₹ 30 लाख की हानि ।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड (कम्पनी) इंदौर क्षेत्र में औधोगिक अधोसंरचना के विकास के लिये उत्तरदायी है । कंपनी उद्यमियो को विकसित भूमि पट्टे पर देती है ।

मध्यप्रदेश सरकार के औद्योगिक संवर्धन नीति 2010 (नवम्बर 2010) एवं कार्य आयोजना 2010 के अनुसार उन उद्योगो जिनकी प्रस्तावित पूंजी निवेश ₹ 25 करोड़ था उससे अधिक होगा उनकी बड़ी परियोजना हेतु निर्धारित अधिमूल्य (प्रीमियम) के 25 प्रतिशत पर भूमि उपलब्ध करायी जावेगी[5] यदि इस तरह का पूंजी निवेश तीन वर्ष की अवधि के अंदर किया जाता है । आगे यदि परियोजना की लागत ₹ 25 करोड़ से ₹ 50 करोड़ के मध्य रहती है तब अधिकतम 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर प्रदान की जा सकेगी एवं यदि परियोजना लागत ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ के बीच रहती तब अधिकतम 10 एकड़ भूमि ही रियायती दर पर प्रदान की जा सकेगी ।

कंपनी ने मैसर्स बाडवे इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड (बी.ई.पी.एल.) द्वारा स्वचालित वाहन अवयव निर्माण हेतु परियोजना पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने के लिये सितम्बर 2010 में 36000 वर्ग मीटर भूखंड आवंटन के लिये आवेंदन प्राप्त किया । औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के लिये निर्धारित अधिमूल्य दर दिसम्बर 2010 में ₹ 400 प्रति वर्ग मीटर थी । कम्पनी ने इसे बड़ी औद्योगिक इकाई मान्य करते हुये फरवरी 2011 में 30,000 वर्ग मीटर (7.5 एकड़) भूमि आवंटित की ।

हमने पाया कि कंपनी ने ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर रियायती दर पर गणना करते हुये 30,000 वर्ग मीटर भूमि के लिये राशि ₹ 30 लाख प्रीमियम (अधिमूल्य) के रूप में प्राप्त किये । यह भी पाया कि भूमि की लागत एवं ₹ 6.20 करोड़ के स्थल विकास को सम्मिलित करते हुये परियोजना की कुल लागत ₹ 53.70 करोड़ थी । चूंकि कंपनी द्वारा विकसित भूमि पट्टे पर दी जाती है अतः औद्योगिक इकाई (बी.ई.पी.एल.) द्वारा ₹ 6.20 करोड़ स्थल विकास लागत के रूप में शामिल करना तर्कसंगत नही था एवं इसके कारण परियोजना लागत में वृद्धि हुयी । यदि यह राशि विचार में नही ली गई होती उस स्थति में परियोजना लागत राशि ₹ 47.50 करोड़ ही होती एवं इस तरह की औधोगिक इकाई केवल पांच एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटन के लिये पास होती[6] जो कि 20,000 वर्ग मीटर भूखंड (लगभग) होता । अतः शेष 10,000 वर्ग मीटर भूखंड के लिये ₹ 400 प्रति वर्ग मीटर सामान्य प्रीमियम प्रभारित किया जाना चाहिये था ।

प्रबंधन ने कहा (जून 2013) कि भूमि आवंटन औद्योगिक नीति 2010 के प्रावधानो के अनुसार ही किया गया एव बी.ई.पी.एल. (औद्योगिक इकाई) द्वारा दर्शायी गयी परियोजना लागत ₹ 53.70 करोड़ थी जिसमे ₹ 6.20 करोड़ जो कि भूमि एवं विकास लागत के नाम से दर्शाये गये शामिल थी ।

[5] कमर्शियल पूंजी छोडकर
[6] एक एकड़ = 4046 वर्गमीटर

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नही है। क्योकि कंपनी केवल विकसित भूखंड ही पट्टे पर देती है । इसके अतिरिक्त ₹ 6.20 करोड़ को भूमि एवं भूखंड विकास लागत के रूप में शामिल करना तर्कसंगत नही है। क्योकि किसी अन्य भूमि आवंटन प्रकरण में लेखापरीक्षा द्वारा भूखंड विकास लागत को कुल परियोजना लागत में शामिल किया जाना नही पाया गया। परियोजना लागत में भूखंड विकास लागत को सम्मिलित किये जाने से बी.ई.पी.एल. 10,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि रियायती दर पर आवंटन के लिये पात्र हुआ । इस तरह, बगैर आवश्यक अविराम परीक्षण के औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना लागत विवरण को स्वीकार करने के प्रबन्धन के निर्णय के परिणामस्वरूप समस्त भूमि रियायती दर पर आवंटित करने से राशि ₹ 30 लाख[7] की हानि हुयी ।

प्रकरण मई 2013 में सरकार को सूचित किया गया एवं जनवरी 2014 तक उत्तर प्रतीक्षित है ।

4.5 कमजोर निधि प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि

उचित निधि प्रबंधन–तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप बहुत अधिक नकदी शेष बचत खातों में जमा रखने के कारण राशि ₹ 79.17 लाख के ब्याज आय की हानि।

मध्यप्रदेश राज्य औद्यौगिक विकास निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर लिमिटेड (कम्पनी) इंदौर क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिये उत्तरदायी है कंपनी उद्यमियों को विकसित भूमि पट्टे पर देती है।

कंपनी के अप्रैल 2011 से मार्च 2013 तक की अवधि के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कंपनी कोटक महिन्द्रा बैंक (इंदौर) के साथ तीन बचत खाते संचालित करती है एवं खातों का संचालन केवल दिन–प्रतिदिन के लिये किया जाता है । अप्रैल 2011 के अंत में उक्त तीनों खातों में ₹ 3.23 करोड़ का क्रेडिट शेष था जो कि मार्च 2013 के अंत तक संग्रहित होकर ₹ 22.89 करोड़ हो गया । इसके अतिरिक्त कंपनी के पास अन्य बैको में 11 अन्य चालू खाते दिन–प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार थे ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कंपनी के पास सावधि जमा निवेश हेतु आधिक्य निधि उपलब्धता जानने के लिये कोई आवधिक तंत्र नही था । यदि कंपनी आधिक्य निधि के निवेश के लिये निधि प्रबन्धन तंत्र का पालन करती एवं आधिक्य निधि को सावधि जमा के रूप में निर्देशित किया जाता तब अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि में ₹ 79.17 लाख अतिरिक्त ब्याज के रूप में प्राप्त हो सकते थे । कंपनी ने वित्तीय हितो की सुरक्षा के क्रम मे कंपनी को अपने निधियों पर आय को अधिकतम करने के लिये एक सुनियोजित निधि प्रबंधन तंत्र का पालन करना चाहिये ।

प्रबंधन के कहा (सितम्बर 2013) कि अप्रैल 2011 से जून 2012 तक कंपनी ने ब्याज के रूप में ₹ 43.97 लाख की आय प्राप्त की एवं यह कि लेखापरीक्षा द्वारा कण्डिका में दर्शित अनुमानित ब्याज दरे प्रचलित वास्तविक ब्याज दरो के साथ सहसम्बद्ध/आश्वस्त नही थी ।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कंपनी ने आपने आधिक्य निधि को कोटक महिन्द्रा बैक (इंदौर) में उच्च दर पर संबंधित जमा के बजाय उसी बैक में बचत खाते में जमा रखा।[8]

[7] ₹ 400 – ₹ 100 = ₹ 300 x 10,000 वर्ग मीटर
[8] 9 प्रतिशत वार्षिक

इस तरह आधिक्य निधि के सुनिश्चित निवेश तंत्र के अभाव मे निधि को बचत खाते में रखने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ब्याज आय हानि राशि ₹ 79.17 लाख हुई ।

प्रकरण अगस्त 2013 में सरकार को सूचित किया गया एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (जनवरी 2014) ।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

4.6 राजस्व की हानि

आपूर्ति उपलब्धता सूचना एवं परिष्कृत मांग जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप राशि ₹ 84.84 लाख के राजस्व की हानि ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी (जून 2004) मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के उपवाक्य/धारा 4.74 के अनुसार आपूर्ति आरम्भ करने के लिये ऊर्जा उपलब्धता सूचना देने की निर्धारित समय–सीमा उपभोक्ता के साथ आपूर्ति समझौते के दिनांक से यदि प्रसार कार्य सम्मलित है तब 90 दिवस एवं यदि प्रसार कार्य सम्मलित नही है[9] तब 30 दिवस होगी । संहिता के उपवाक्य 2.1 (एन) के अनुसार आपूर्ति आरंभ करने की दिनांक से तात्पर्य लक्षित उपभोक्ता को ऊर्जा उपलब्धता की सूचना या उपभोक्ता द्वारा वास्तविक आपूर्ति उपलब्धता के दिनांक से निम्न दाब (एल.टी.) की स्थिति में एक माह की समाप्ति एवं उच्च दाब (एच.टी.) की स्थिति में तीन माह की समाप्ति के अगले दिवस से होगा । तद्नुसार, उर्जा उपलब्धता की सूचना या वास्तविक ऊर्जा आपूर्ति उपलब्धता के दिनांक, जो भी पहले हो से उर्जा प्रभार के लिये बिलिंग की जाती है ।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) का गठन विद्युत वितरण के उद्देश्य से किया गया है । वर्तमान अस्तित्व में उपभोक्ता मैसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल्स (एस.पी.एम.) होशंगाबाद ने जून 2009 में अपने संविदा भार 5000 के.वी.ए. से 10,000 के.वी.ए. वृद्धि किये जाने हेतु आवेदन किया । बहरहाल, कंपनी ने अक्टूबर 2009 में एक 3000 के.वी.ए. अतिरिक्त भार को स्वीकृति दी एवं जनवरी 2010 में 8000 के.वी.ए. के भार वृद्धि के लिये एक पूरक समझौता किया । महाप्रबंधक (संचारण एवं संधारण) ने फरवरी 2010 में उप महाप्रबंधक (संचारण एवं संधारण) को उपभोक्ता को आपूर्ति उपलब्धता सूचना जारी करने हेतु निर्देशित किया ताकि वृद्धि किये गये 8000 के.वी.ए. भार के लिये बिलिंग आरंभ की जा सके । बहरहाल, उपभोक्ता को उक्त सूचना जून 2010 में जारी कि गई। उपभोक्ता द्वारा जून 2010 में इसके नवीन पल्प मिल के संस्थापन कार्य में देरी के कारण सितम्बर 2010 से बिलिंग आरम्भ करने का निवेदन किया गया एवं पुनः सितम्बर 2010 में बिजली संबंधी कार्य पूर्ण न होने के कारण बिलिंग 1 नवम्बर 2010 से आरंभ करने का निवेदन किया । तद्नुसार, कंपनी ने वृद्धि भार के लिये 1 नवम्बर 2010 से बिलिंग आरंभ की ।

हमने पाया (जनवरी 2012) कि संहिता के उपवाक्य 4.74 की शर्तो के अनुसार कंपनी को स्वयं फरवरी 2010 में वृद्धि भार के लिये आपूर्ति उपलब्धता सूचना जारी करनी चाहिये थी जैसे कि उपलब्धानुसार जनवरी 2010 मे किये समझौते की दिनांक से 30 दिवस की समाप्ति पर एवं मई 2010 से बिलिंग आरंभ की जानी चाहिये थी । जैसे कि संहिता में नियत प्रक्रिया के अनुसार सूचना जारी करना कंपनी की जबाबदेही थी। चार माह की देरी से सूचना जारी करना एवं तद्नुसार देरी से बिलिंग की अनुभूति नियम विरूद्ध थी। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 84.84 लाख की राजस्व हानि हुयी ।

[9] नवीन लाईन का विस्तार एवं फीडर की स्थापना

सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि उसे 8000 के.वी.ए. के वृद्धि भार से आपूर्ति के लिये लाईन का संवर्धन करना था एवं जुलाई 2010 में कार्य पूर्ण होने पर आपूर्ति उपलब्धता सूचना जारी किया गया एवं नवम्बर 2010 से उपभोक्ता को वृद्धि भार के लिये बिलिंग की गयी । बहरहाल लेखापरीक्षा जांच में स्पष्ट हुआ कि कंपनी द्वारा उक्त अवधि में किया गया कार्य कंपनी के वृद्धिभार से मुक्त करने के लिये संवर्धन कार्य से संबंधित नही था एवं परिचालक संवर्धन, निक्षेप कार्य के रूप में एस.पी.एम. परिक्षेत्र में 33 के.व्ही. लाईनो के क्षतिग्रस्त सहायक के बदलाव से संबंधित था जो कि संहिता के उपवाक्य 4.68 के अनुसार[10] उपभोक्ता का उत्तरदायित्व था । अतः कंपनी के उपभोक्ता के निवेदन पर वृद्धि भार के लिये बिलिंग आरंभ करने में देरी नही करनी चाहिये थी ।

इस तरह कंपनी द्वारा आपूर्ति उपलब्धता सूचना समय पर जारी करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 84.84 लाख राजस्व का परित्याग करना पड़ा ।

4.7 विद्युत भार में वृद्धि द्वारा उपभोक्ता को अनुचित लाभ

विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के अनुसार स्वीकृति पक्ष की शर्तो को पूरा करने के पूर्व अतिरिक्त भार विस्तार के माध्यम से उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं एम.पी. ई.आर.सी टैरिफ के अनुसार अधिक भार पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित न करने के कारण राशि ₹ 3.89 करोड़ के राजस्व की हानि ।

मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के उपवाक्य 4.3 के अनुसार ''नवीन उपभोक्ता के मांग को पूरा करने के लिये वितरण मेन्स के विस्तार एवं विस्तार या आपूर्ति बिन्दु को अद्यतन करने की लागत उपभोक्ता द्वारा देय होगी ।

संहिता के उपवाक्य 4.12 के अनुसार उपभोक्ता संहिता में उपबन्धित समय सीमा में ही कार्य प्राप्त करेगा, असफल होने की दशा में लाईसेंसधारी 15 दिवस की सूचना देकर आपूर्ति के लिये या आपूर्ति विस्तार के लिये मांग को निरस्त मान सकता है । संहिता में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा यदि विस्तार कार्य शामिल हो तब 90 दिवस एवं यदि विस्तार कार्य आवश्यक न हो उस दशा में 30 दिवस होगी ।

मेसर्स काकड़ा सेलिंग मिल गोविन्दपुरा 2350 के.वी.ए. के संविदा मांगभार के साथ वर्तमान में एक उच्च दाब उपभोक्ता ने दिसम्बर 2009 में विद्युत भार 1250 के.वी.ए. बढ़ाने हेतु आवेदन किया । कंपनी ने उपभोक्ता द्वारा स्विचिंग सब स्टेशन से 1.67 कि.मी. रवर लेन्थ की 33 के.व्ही. लाईन के लिये नवीन 33 के.व्ही. फीडर सफलतापूर्वक बिछाने की शर्त के अधीन 33 के.व्ही. लाईन पर वर्तमान 2350 के.वी.ए. संविदा मांग से अधिक 1250 के.वी.ए. अतिरिक्त ऊर्जा के लिये जनवरी 2010 में स्वीकृति प्रदान की ।

उपभोक्ता ने जनवरी 2010 को बढ़े हुये भार को तुरन्त विमुक्त करने के लिये निवेदन किया एवं विस्तार कार्य को पूर्ण करने के लिये 12 माह का समय मांगा । भार में वृद्धि के माध्यम से संभव अतिरिक्त राजस्व को विचार में लेते हुये, कंपनी ने गोविन्दपुरा के लिये स्टेण्डवाई फीडर के माध्यम से विद्युत उपलब्ध करा के विस्तार कार्य

[10] उपवाक्य 4.68 बताता है कि उपभोक्ता स्व–निर्णय से कार्य में समय वृद्धि ले सकता है एवं अनुज्ञप्तिधारी को जांच प्रतिवेदन तथा स्थापना में तीव्रता लाने हेतु विद्युत निरीक्षक से प्राप्त अनुमति प्रस्तुत करेगा।

पूर्ण होने से पूर्व ही अतिरिक्त भार वियुक्त करने का निर्णय लिया । यद्पि संहिता के उपलक्ष्यो के अनुसार विस्तार कार्य को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 90 दिवस है कम्पनी ने नवीन 33 के.व्ही. फीडर के कार्य करने के लिये 6 माह की अवधि अनुमत की एवं अप्रैल 2010 से प्रभावी 3600 के.वी.ए. के भार वृद्धि के लिये अप्रैल 2010 में एक समझौता किया । इस तरह समझौता प्रारंभ से ही संहिता के उपबन्धो के विरूद्ध था । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा विस्तार कार्य को पूर्ण करने तक वर्तमान भार के अनुसार बिलिंग करने के लिये एवं 6 माह की अवधि में विस्तार कार्य पूर्ण करने में उपभोक्ता की असफलता पर समझौता समाप्त करने संबंधी कोई भी अनुमत प्रावधान नही किया गया ।

हमने पाया (मार्च 2012) कि समझौते में अनुमत 6 माह की अवधि के अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा समय समय पर विस्तार कार्य के लिये समय मे विस्तार मांगा गया। बहरहाल, साश्यतः समझौते में आवश्यक प्रावधान के अभाव में प्रबंधन ने उपभोक्ता के निर्धारित समयावधि में विस्तार कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर वृद्धि भार पर आपूर्ति को बंद करने के लिये कोई कार्यवाही आरंभ नही की और न ही वर्तमान भार को आधार मानते हुये बिलिंग कार्य वास्तव में सितम्बर 2013 में समाप्त हुआ ।

वर्तमान भार के बजाय नियमित भार वृद्धि के आधार पर बिलिंग के परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि में आधिक्य आहरण के लिये राशि ₹ 3.89 करोड़ की दण्ड राशि भुगतान किये बगैर संहिता के उपबन्धो के अनुसार संभव विद्युत आहरण से अधिक विद्युत आहरित थी ।

इस तरह, स्वीकृति (जनवरी 2010) के शर्तो को पूर्ण करने से पूर्व अतिरिक्त भार प्रदाय करने का समझौता एवं उसमें कंपनी के वित्तीय हितो को सुरक्षित रखने के लिये उचित प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ । इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा स्वंय की लागत पर स्थापित स्टैण्डबाई फीडर लक्षित उद्देश्य के लिये अनुपलब्ध था एवं उस पर किया निवेश असफल रहा ।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2013) कि कंपनी के उत्तम हितो को विचार में लेते हुये उपभोक्ता की अतिरिक्त फीडर के कार्य को पूर्ण करने के लिये समय दिया गया था जैसे कि वह नियमित राजस्व प्रदान करने वाला उपभोक्ता था । आगे यह भी कहा कि चूंकि उपभोक्ता नियमित रूप से बकाया का भुगतान कर रहा था अतः वृद्धि आपूर्ति को बन्द नही किया जा सकता था ।

उत्तर स्वीकार्य नही हैं। क्योकि समझौता संहिता के उपबन्धो के विरूद्ध था एवं कंपनी ने वर्तमान भार के आधार पर उपभोक्ता की बिलिंग करने के लिये आवश्यक उचित प्रावधान समझौते में शामिल नही किया अतः कंपनी अपने वित्तीय हितो की सुरक्षा नही कर सकी एवं इस तरह अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई ।

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

4.8 ब्याज की हानि

टैरिफ के माध्यम से राजस्व ₹ 23.13 करोड़ का परित्याग एवं उस पर राशि ₹ 1. 27 करोड़ के ब्याज की हानि ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) जबलपुर मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत पारेषण की गतिविधियों में संलग्न है । वर्ष 2008–09 तक मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) के अनुसार कंपनी की सावधिक जमा से आय को गैर–टैरिफ आय माना जाता था ।

लेखा मानक (ए.एस.)–16 के अनुपालन के क्रम में कंपनी की लेखा नीति में परिवर्तन के कारण कंपनी ने पूँजीगत परिसम्पतियों के लिये ऋणो पर देय ब्याज से विनिर्माण के दौरान प्राप्त ब्याज को कटौती के रूप में अपने वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखाओं में लेखाबद्ध किया ।

कंपनी ने एम.पी.ई.आर.सी. को वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये अक्टूबर 2010 में ट्रांसमिशन टैरिफ के ट्रू–अप[11] के लिये एक याचिका दायर की जिसमें कार्यशील पूंजी से कटौती के रूप में जमाओं पर प्राप्त ब्याज राशि ₹8.61 करोड़ के लिये दावा किया ।

एम.पी.ई.आर.सी. ने कंपनी की गैर–टैरिफ आमदनी में ₹ 8.61 करोड़ प्राप्त ब्याज को सम्मिलित किया एवं तद्नुसार ₹53.99 करोड़ का शुद्ध ट्रू अप निश्चित किया ।

कंपनी ने इस आधार पर कि ब्याज को दो बार कटौती के लिये लिया गया जैसे पूंजीगत कार्य प्रगति में से कटौती एवं आय के रूप में गणना ट्रू अप राशि को ₹ 53.99 करोड़ से ₹62.60 करोड़ किये जाने के लिये आयोग को पुनरीक्षण के लिये निवेदन करते हुये मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को एक समीक्षा याचिका अगस्त 2012 में दायर की हालाकि कंपनी का दावा सितम्बर 2012 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अपनी रथाई अवधारण जो कि ब्याज को राजस्व आय मानती है का पालन करते हुए निरस्त कर दिया। प्रगति में पूंजीगत कार्य की कमी होने पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी को निर्देशित किया कि वह अपनी आगामी टैरिफ याचिका में पुर्नसम्मिलित करने के लिये सम्पत्तिकर ब्याज आय उपलब्ध करावे । इसी प्रकार की विधि फरवरी 2012 में वर्ष 2010–11 के लिये दायर ट्रू–अप याचिका में भी अपनायी गयी थी । यद्पि वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैफिक के ट्रू–अप के संबंध में जन सुनवाई एवं स्पष्टीकरण जनवरी 2013 तक सम्पत्ति अनुसार निरन्तर चलती रही जो कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये ट्रू–अप पर समीक्षा याचिका के निराकरण के चार माह पश्चात था । कंपनी ने ब्याज आय से सम्बद्ध सम्पत्ति के मुख्य में समुचित वृद्धि के द्वारा 2010–11 के लिये ट्रू–अप दावे का पुनरीक्षण नही किया । परिणामस्वरूप 2010–11 के ट्रू–अप आदेश में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने फरवरी 2013 में प्रगति में पूंजीगत कार्य पर प्रभाव को विचार में लिये बगैर ₹14.52 करोड़ की पूंजी ब्याज से आय को अन्य गैर टैरिफ आय में शामिल किया।

इस तरह कंपनी ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान जमाओं पर प्राप्त ब्याज आय राशि ₹23.13[12] करोड़ की प्राप्ति का अवसर खो दिया साथ ही कंपनी ने अप्रैल 2013 तक ₹1.27[13] करोड़ के ब्याज की हानि उठाई ।

सरकार से उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि जैसा कि सितम्बर 2012 में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेशित किया गया कि कंपनी आगामी टैरिफ याचिका में सम्पत्ति मूल्य में राशि को पुर्नसम्मलित करेगी अतः कंपनी को किसी प्रकार की हानि नही हुई है ।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कंपनी ने फरवरी 2013 में वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के लिये बहुवर्षीय टैरिफ याचिका दायर की जिसमें सम्पत्ति मूल्य को पुर्नसम्मिलित किया जाना प्रस्तावित नही किया गया । कंपनी (दिसम्बर 2013) अब तक सम्पत्ति में वृद्धि सीमा सुनिश्चित करने के लिये सम्मपत्ति अनुसार ब्याज आय निर्धारित

[11] ट्रू अप याचिका कम्पनी द्वारा वास्तविक खर्च की जानकारी होने के बाद मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी बहुवार्षिकी/वार्षिकी टेरिफ के विरूद्व दायर टैरिफ याचिका है।

[12] ₹ 8.61 करोड़ +₹ 14.52 करोड़

[13] ₹ 1.27 करोड़ (₹ 0.82 करोड +₹ 0.45 करोड) @ 13% प्रतिवर्ष

करने में समर्थ नही हो सकी है । चूंकि कंपनी ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश ने विरूद्ध कोई याचिका दायर नही की एवं गैर–टैरिफ आय से कटौती का दावा करने में समर्थ नही रही । साथ ही पुर्न पूंजीकरण करने के लिये सम्मत्तिवार ब्याज आय विवरण के अभाव में सम्पत्ति मूल्य के पुर्नसम्मेलन में समर्थ नही हो सकी । अतः ₹ 23.13 करोड़ की राशि के समस्त प्राप्त ब्याज का परित्याग करना पड़ा ।

मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

4.9 समझौते की शर्तो को लागू करने में असफल रहने के कारण राजस्व की हानि

कंपनी द्वारा ए ग्रेड रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिये समझौते की शर्तो को लागू करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 14.71 करोड़ की राजस्व की हानि एवं कंपनी अनिष्पादित मात्रा के लिये ₹ 73.55 लाख के दण्ड राशि आरोपित करने में भी असफल रही ।

मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) मांग को संचालित एवं बढ़ाना, बिक्री एवं खनिजो का निराकरण जैसे – रॉक फास्फेट, बॉक्साईट, डोलोमाईट, पाईरोफाईलाईट, फ्लेग स्टोन एवं रेत (सेंड) का कार्य करती है। कंपनी अपनी मेघनगर एवं हीरापुर बड़ी खदानो से रॉक फास्फेट निकालती है एवं इन्हे अपने सागर एवं मेघनगर के उप कार्यालय से विक्रय करती है । कंपनी ने अपने सागर एवं छतरपुर खदानो से रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रसिंग के लिये मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन (ठेकेदार) के साथ एक समझौता किया (जनवरी 2010)। समझौते की शर्तो के अनुसार ठेकेदार को जून 2010 से 10 वर्ष की अवधि में अनुमत ग्रेड जैसे – 29 प्रतिशत ए ग्रेड फास्फेट एवं 18–20 प्रतिशत निम्न ग्रेड फास्फेट का 7,80,000 घन मीटर (मी ^{3}) रॉक फास्फेट खनन एवं क्रस करना था। समझौते में अर्न्तनिहित उपबन्ध यह था कि ठेकेदार कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक समय सूची के अनुसार खदानो मे खनन का कार्य करेगा एवं मासिक समय कार्यक्रम को उपलब्ध करने के असफल होने पर अ–निष्पादित मात्रा के मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से दण्ड राशि देय होगी । रॉक फास्फेट की अनुमत मात्रा प्राप्त करने के लिये विस्फोट के द्वारा खदानो से प्राप्त रॉक फास्फेट की माईनिंग या हैण्ड पिकिंग कार्य के परिक्षेत्र में शामिल होगा ।

मासिक कार्यक्रम के अनुसार ठेकेदार को ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिये क्रमशः 30,000 मीट्रिक टन 36000 मीट्रिक टन एवं 36000 मीट्रिक टन आवश्यक था। बहरहाल, ठेकेदार द्वारा वर्ष 2010–11 एंव 2011–12 के दौरान क्रमशः केवल 3028.51 मेट्रिक टन एवं 559.14 मेट्रिक टन ''ए'' ग्रेड का रॉक फास्फेट खनन किया गया । वर्ष 2012–13 में ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट का कोई भी उत्पादन नही किया गया । समझौते के अनुसार वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिये क्रमशः 26971.49 मेट्रिक टन, 35,440.86 मेट्रिक टन एवं 36000 मेट्रिक टन ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट के उत्पादन में कमी के लिये ठेकेदार अ–निष्पादित मात्रा ने मूल्य के पॉच प्रतिशत की दर से ₹ 73.55 लाख की दण्ड राशि के लिये उत्तरदायी होगा । कंपनी को यद्पि ठेकेदार से उक्त दण्डराशि वसूल करनी शेष है । (अगस्त 2013)

हमने यह भी पाया कि ठेकेदार के द्वारा उत्पादन मे कमी के कारण कंपनी योजना अनुसार रॉक फास्फेट की बिक्री नही कर सकी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010–11, 2011–12, एवं 2012–13 के दौरान ₹ 14.71 करोड़ के राजस्व को त्यागा गया । कंपनी समझौते के किसी उपवाक्य के पालन में त्रुटि होने की दशा में 15 दिन की सूचना देकर संविदा को निरस्त एवं सुरक्षा निधि को जब्त किया जा सकता था । हालाकि कंपनी ने नवम्बर 2011 में अर्थात उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष 6 माह उपरांत उत्पादन मे कमी के लिये ठेकेदार को

केवल एक अधिसूचना जारी की । दिसम्बर 2013 तक ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2013) कि ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट का उत्पादन/खनन इसलिए नही किया गया क्योंकि रॉक फास्फेट की कोई मांग उपलब्ध नही थी एवं ऐसा करने से निगम की पूँजी अवरूद्ध ही होती।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि उत्पादन के लिये समझौते करने से पूर्व कंपनी द्वारा ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट की बाजार में मांग का अनुमान किया जाना चाहिये था इसके अतिरिक्त ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट को उत्पादन में कमी कंपनी के निवेदन का परिणाम नही था एवं कंपनी ने उत्पादन में कंपनी के लिये अधिसूचना जारी की । आगे, वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान हीरापुर खदान में फास्फेट के खनन पर अन्य लेखापरीक्षा के प्रतिउत्तर में कंपनी ने आश्वस्त किया कि वह रॉक फास्फेट खदानो से उत्पादन को अधिकतम करेगी ।

इस तरह कंपनी विविध ग्रेड रॉक फास्फेट के उत्पादन अधिसूची/कार्यक्रम को लागू करने में असफल रहने के कारण ₹ 14.71 करोड़ के राजस्व को त्यागना पड़ा एवं अ–निष्पादित/अ–खनन के मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से ₹ 73.55 लाख के दण्ड राशि आरोपित करने में असफल रही ।

प्रकरण जून 2013 में सरकार को भेजा गया एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (जनवरी 2014)

4.10 संविदा सुपुर्दगी में परिहार्य व्यय

रॉक फास्फेट के खनन के लिये संविदा सुपुर्दगी में ठेकेदार को अनुचित लाभ के विस्तार के परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय ।

मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने ठेकेदार को शामिल करते हुये अपनी मेघनगर में कचालधारा खदान से रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रसिंग के कार्य का निर्णय लिया एवं इस वर्ष की अवधि के लिये एक लाख घन मीटर (मी ^{3}) रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रसिंग के लिये जुलाई 2009 में निविदा आमंत्रित की। निविदा में अर्न्तनिहित शर्तो के अनुसार पूर्वगामी तीन वर्ष के दौरान बहु खनिज में 75,000 घनमीटर (मी ^{3}) के खनन में वार्षिक अनुभव होना चाहिये था। कंपनी ने पांच निविदाऐं प्राप्त की । मैसर्स कटनी बाक्साईट प्राईवेट लिमिटेड, सतना जो कि कंपनी का संयुक्त उपक्रम है की निम्नतम निविदा थी जिसने ₹ 272 प्रति घनमीटर (मी^{3}) (माईनिंग के लिये ₹ 216 एवं क्रसिंग के लिये ₹ 56) की दर प्रस्तावित की। द्वितीय निम्नतम निविदा दर ₹ 344 प्रति घनमीटर (मी ^{3}) थी जो कि मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन की ओर से थी। कंपनी द्वारा निम्नतम निविदा दर पर विचार करते हुये यह शर्त रखी गयी कि संयुक्त उपक्रम में कंपनी की 11 प्रतिशत स्टेक होल्डिंग होने के कारण कचलधारा खदान के संचालन से होने वाली हानि को संयुक्त उपक्रम के लाभ के विरूद्ध समायोजित नही किया जावेगा। उक्त शर्त से प्रताडित मैसर्स कटनी बाक्साइट ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। न्यायालय ने कंपनी को निर्देशित किया (मई 2010) कि वह मैसर्स कटनी बाक्साईट को पुर्न निविदा प्रक्रिया में शामिल करते हुये नवीन निविदा आमंत्रित करें।

उपरोक्तानुसार कंपनी ने (अक्टूबर 2010) में पुर्न निविदा आमंत्रित की जिसमें उसने नवीन शर्त शामिल की जिसके अनुसार निविदाकर्त्ता को पिछले तीन वर्ष में एक लाख मी ^{3} रॉक फास्फेट के खनन का पूर्व अनुभव होना चाहिये । नवीन शर्त को शामिल करने का कारण

लेखापरीक्षा को अभिलेखों में प्राप्त नही हुआ । इसके प्रतिउत्तर में मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रेक्शन को शामिल करते हुये तीन निविदाकर्त्ताओं के निविदा प्रक्रिया में भाग लिया एवं कटनी बाक्साईट के द्वारा ₹272 प्रति घनमीटर की दर निम्नतम थी । हॉलाकि कंपनी ने दिसम्बर 2010 में इस आधार पर कि तृतीय निविदा में मेसर्स कटनी बाक्साईट की मुख्य बिड ओपन करना सही नही था क्योकि फर्म का रॉक फास्फेट के खनन के अनुभव संबंधी तकनीकी योग्यता नही थी, पुनः निविदायें आमंत्रित की गयी। निविदाओं के प्रतिउत्तर में कंपनी ने दो बिड प्राप्त की जिसमें मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन की दर ₹ 573 प्रति घनमीटर (मी ^{3}) न्यूनतम थी । कंपनी ने मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन के प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं तद्नुसार मार्च 2011 में कचराधारा एवं ग्वाली समूह की खदानो, मेघनगर से रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रांसिग कार्य के लिये एक समझौता किया ।

इस संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ/निष्कर्ष निम्न है :–

- प्रथम निविदा में कंपनी मैसर्स कटनी बाक्साईट द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दर इस आधार पर स्वीकार करने की इच्छुक नही थी कि संविदा में होने वाली हानि संयुक्त उपक्रम के लाभदायकता को प्रभावित करेगी जिसका परिणामी प्रभाव यह होगा कि कंपनी के 11 प्रतिशत अंशधारणा के संबंध में लांभाश प्रभावित होगा । कंपनी द्वारा शामिल शर्त लांभाश घोषणा पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्व थी इसके अतिरिक्त इस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार न करना न्यायसगंत/तर्कसंगत नही था क्योकि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान कंपनी ने केवल ₹ 80850 का नाममात्र लांभाश प्राप्त किया ।

- द्वितीय निविदा में कंपनी कटनी बाक्साईट की उत्पादन संबंधी गतिविधियों से सु–परिचित थी एवं रॉक फास्फेट खनन में अनुभव आधारित शर्त को शामिल करने के कारण कार्य अयोग्य सिद्ध हुई जो कि उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें पुर्न–निविदा में कटनी बाक्साईट को भाग लेने के लिये अनुमति देने के निर्देश दिये गये थे के विरूद्ध था ।

- मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन ने ₹ 344 प्रति घन मीटर एवं ₹ 573 प्रति घनमीटर की दर क्रमशः प्रथम एवं तृतीय निविदा में प्रस्तावित की। हॉलाकि कंपनी ने कोई मुख्य समझौता नही किया यदपि प्रथम एवं तृतीय निविदा के बीच दरों में ₹ 229 का अन्तर था । कंपनी ने इस तथ्य की भी अपेक्षा की कि ठेकेदार को समान ग्रेड के उत्पाद के लिये हीरापुर खदान से खनन एवं क्रसिंग कार्य के लिये ₹ 403 प्रति घन मीटर की दर से जनवरी 2010 में संविदा सुपुर्द किया गया था ।

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान क्रमशः 1,06,326 मीट्रिक टन[14] एवं 1,33,875 मीट्रिक टन रॉक फास्फेट की मात्रा का खनन किया गया । प्रथम निविदा में एल–1 दर को स्वीकार न करने के कारण कंपनी ने वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान संविदा के शेष अवधि के लिये व्यतित ₹ 24.08[15] करोड़ के अतिरिक्त व्यय को सम्मिलित करते हुये ₹ 4.82 करोड़ का पर्याप्त अतिरिक्त व्यय किया ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2013) कि मेसर्स कटनी बाक्साईट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित दरें व्यवहारिक नही थी एवं हीरापुर खदान की दरों की तुलना नही की जा सकती क्योकि दोनो खदानो की खनिजो की स्थिति एवं प्रकृति भिन्न थी ।

[14] (106326 एम.टी.+ 133875 एम.टी.) x ₹ 200.6

[15] 150000 एम.टी. x 200.67 x 8

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कटनी बाक्साईट खनन कार्य में संलग्न थी एवं स्वयं के संयुक्त उपक्रम कंपनी की दरो को भी निरस्त कर देना जिसको बहु–खनिज के खनन में अनुभव था सद्परिणाम नही रहा और न ही कंपनी के वित्तीय हितो के अनुकूल था। उत्तर मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन द्वारा 18 माह की अवधि में प्रथम एवं तृतीय निविदाओं के मध्य प्रस्तावित दरो में ₹ 229 प्रति मेट्रिक टन के अन्तर के संबंध में भी स्पष्टीकरण नही देता है । यद्पि यह 67 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है । मेसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन द्वारा इस खनन के लिये प्रथम निविदा में प्राप्त दरों एवं अन्य खनन के लिये दरों को विचार में लेने में कंपनी की असफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

प्रकरण सरकार को जून 2013 में भेजा गया एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (जनवरी 2014)

4.11 म. प्र. राज्य में कोल ब्लॉक्स का विकास एवं खनन

4.11.1 प्रस्तावना

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय कि मुख्य जिम्मेदारी है कि वह कोयला भण्डरो की खोज व विकास के लिये जरूरी नीति व रणनीति का निर्माण करें । कोयले की बढ़ती मांग व पूर्ति के अन्तर को ध्यान में रखते हुये और आयातो पर निर्भरता को कम करने के लिये, भारत सरकार ने 1993 में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को कोल ब्लाक्स आवंटन के लिये दिशा निर्देश बनायें । भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिनमे समय–समय पर संशोधन होता रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोल ब्लॉक्स का आवंटन या तो केन्द्रीय इस्तेमाल के लिये या वाणिज्यिक खनन के उद्देश्य से राज्य सरकार से प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश राज्य में, राज्य सरकार द्वारा 2002 से 2006 के बीच प्राप्त आवेदनो के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड को कोल मंत्रालय द्वारा 10 कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया। वर्ष 2006–07 के दौरान आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार, विस्तृत/संभावित खोज व कोल खनन या तो म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा या म.प्र. राज्य के सहभाग से बनी पृथक कंपनी द्वारा किया जायेगा बशर्त है कि पृथक कंपनी एक सरकारी कंपनी हो और वह कोल खदान (राष्ट्रीकृत) अधिनियम 1973 के अनुदेशो के अनुरूप कोल खनन के लिये आहर्ता रखती हो। म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने (जून 2005 से जून 2009) आवंटित कोल ब्लॉक्स के विकास के लिये संयुक्त जोखिम साझेदारों को चयन किया जिसमे नाम है सैनिक मानिंग एण्ड एलाइड सर्विसेस लिमिटेड और जय प्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड, ए. सी.सी. लिमिटेड एवं मोनिट इस्पात लिमिटेड। 10 आवंटित कोल ब्लाक्स का स्थिति विवरण जिसमें कोल मंत्रालय द्वारा आवंटित तिथि, कोल ब्लाक का उपयोग, संयुक्त जोखिम साझेदारी (जे.वी.) के नाम, म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा आमंत्रित किये गये निविदा की तिथि, फेसिलिटेशन शुल्क, भौगोलिक व खनन योग्य भण्डार इत्यादि ***परिशिष्ट 4.1*** में प्रदर्शित की गई है।

म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा जे.वी. साझेदारो के चयन, जे.वी. कंपनियों द्वारा खानो के उपयोग एवं अन्य गतिविधियों मे आई कमियों के बारे में आगे की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है ।

अमेलिया कोल ब्लॉक का एकल निविदा के आधार पर अयोग्य निविदाकर्ता को आवंटन जिसके परिणाम स्वरूप अधिक फेसिलिटेशन शुल्क प्राप्त करने के अवसर को खोना

4.11.2 आमेलिया कोल ब्लॉक के संयुक्त जोखिम साझेदार का चयन

मध्यप्रदेश शासन ने (दिसम्बर 2002) में कोल मंत्रालय को महान कोल ब्लॉक के आवंटन के लिये आवेदन किया। मार्च 2005 में कोल मंत्रालय ने यह सूचित किया कि महान कोल ब्लॉक का आवंटन संभव नही होगा और महान कोल ब्लॉक के बदले में अमेलिया/अमेलिया नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन पर विचार करने का प्रस्ताव किया म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने राज्य

सरकार की ओर से प्रस्ताव अनुसार (मई 2005) दोनो कोल ब्लॉक्स के आवंटन के लिये प्रार्थना की जिनका जनवरी 2006 में कोल मंत्रालय द्वारा आवंटन कर दिया गया ।

म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने महान कोल ब्लॉक के आवंटन के पूर्वानुमान में जुलाई 2003 में संयुक्त जोखिम साझेदार के चयन हेतु निविदा का आमंत्रण किया। केवल एक कंपनी सैनिक माईनिंग एण्ड एलाईड सर्विसेस लिमिटेड ने निविदा देने की समय सीमा के अन्दर अपनी निविदा समर्पित (01 सितम्बर 2003) की। 23 सितम्बर 2003 को सैनिक माईनिंग एण्ड एलाईड सर्विसेस लि. को आशय पत्र दे दिया गया। म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने (जून 2005) में सैनिक माइनिंग एवं अलाईड सर्विसेस लिमिटेड के साथ आमेलिया कोल ब्लाक पर खनन के लिये जोकि म.प्र.रा.ख.नि.लि. को महान कोल ब्लाक के बदले में आवंटित होनी थी की संभावना के लिये संयुक्त जोखिम अनुबंध निष्पादित किया ।

भारत सरकार ने आवंटन पत्र (जनवरी 2006) में फिर से दोहराया कि म.प्र.रा.ख.नि.लि. को कोल खनन, कोल खनन (राष्ट्रीयकृत) अधिनियम 1973 के अनुसार करेगा। अधिनियम के अनुसार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की कम्पनी और केन्द्र सरकार के स्वामित्व, प्रबंधाधीन तथा नियंत्रित निगम को शामिल करते हुए एक सरकारी कम्पनी, बिना कैपटिव खनन के रोक के खनन के लिए योग्य होगी। लेखापरीक्षा ने आवंटन के जाँच में निम्न तथ्य दर्शित किये :

कोल ब्लॉक के लिये एकल प्रस्ताव की स्वीकृति

जुलाई 2003 मे महान कोल ब्लॉक के लिये निविदा आमंत्रण के समय 11 फर्मो ने निविदा प्रपत्र खरीदे जिनमे से 6 फर्मो[16] ने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निविदा देने की तिथि कों बढाने के लिये प्रार्थना की परन्तु कंपनी द्वारा सभी फर्मो की प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया । निविदा खुलने की तिथि पर केवल एक निविदा सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशो के अनुसार एकल निविदा केवल आपातकालीन परिस्थितियों मे विस्तृत न्यायोचिता के साथ ही स्वीकृत की जा सकती है ।

निविदा को अंतिम रूप देते समय, कंपनी कोल ब्लाक के आवंटन की प्रतिक्षा में थी इस प्रकार एकल निविदा के आधार पर चयन के लिये कोई आपात स्थिति नही थी फिर भी म.प्र.रा.ख.नि.लि. महान ब्लॉक के लिये सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस लि. की एकल निविदा स्वीकार की एवं उसी अर्हता को बिना किसी न्यायोचित्ता के अमेलिया कोल ब्लाक के खनन के लिये संयुक्त जोखिम अनुबंध करने में उपयोग किया ।

नयी निविदा आमंत्रण में असफलता

महान कोल ब्लॉक के लिये सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस को (सितम्बर 2003) में आशय पत्र दिया गया, आशय पत्र/निविदा प्रपत्र में महान कोल ब्लाक का आवंटन कोल मंत्रालय द्वारा न होने पर अन्य कोई कोल ब्लाक सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस लि. को देने की कोई शर्त नही थी। संचालक मंडल ने अप्रैल 2005 में सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस की निविदा की जमा राशि को वापस लौटाने का फैसला किया था क्योंकि उनके प्रस्ताव की वैधता पहले की समाप्त हो चुकी थी (31 मार्च 2005) साथ ही आमेलिया कोल ब्लाक के लिये संयुक्त जोखिम साझेदार के चयन हेतु निविदा आमंत्रण का भी फैसला किया गया। कंपनी के कानूनी सलाहाकार ने भी यही राय दी थी। चूंकि महान कोल ब्लाक

[16] एच.डी.ईन्टरप्राइसेस, टाटा स्टील, गुरूमटार कन्स्ट्रक्शन, अण्टलाण्टा ईंफ्रास्ट्रक्चर, थीसस कोस्मेट माईन्स एवं आदेशित बी कुस्ट जी एण्ड सन लिमिटेड

का आवंटन नही किया गया व उसके बदले, कोल मंत्रालय द्वारा अमेलिया कोल को आवंटन किया गया था फिर भी संचालक मंडल ने जून 2005 में अमेलिया कोल ब्लॉक सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस को देने का फैसला किया। म.प्र.रा.ख.नि.लि. को मुख्यतः अमेलिया कोल ब्लॉक के उच्च कोल भण्डार व उच्चकोटी के कोल ग्रेड को ध्यान में रखकर,[17] नयी निविदा का आमंत्रण करना चाहिये था, महान कोल ब्लाक के बारे में अमेलिया कोल ब्लॉक का बिना किसी निविदा प्रक्रिया के देने से आर्थिक परिणामो पर चर्चा आगे के कंडिकाओं में की गई है ।

म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने (अगस्त 2005) अमेलिया (नॉर्थ) व डोंगरी ताल–2 (दिसम्बर 2006) कोल ब्लाक के लिये पृथक निविदाओं को आमंत्रित किया जिसमें महान कोल ब्लॉक की तुलना में अत्याधिक दर के फेसिलिटेशन शुल्क[18] के प्रस्ताव प्राप्त हुई थे। यदि म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने अमेलिया कोल ब्लाक के लिये फेसिलिटेशन शुल्क के उसी दर के प्रस्ताव जो कि महान कोल ब्लाक के लिये प्राप्त हुये थे, के आधार पर संयुक्त जोखिम अनुबंध करने के बजाय नयी निविदाये आमंत्रित की होती तो उसके पास अत्यधिक दर के फेसिलिटेशन शुल्क के प्रस्ताव प्राप्त करने के अवसर होते। अमेलिया कोल ब्लाक के लिये नयी निविदायो को आमंत्रित करने में असफलता एवं मनमाने ढंग से सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस लि. का चयन के परिणामस्वरूप अन्य अधिक दर से ₹ 7328.89 करोड़ फेसिलिटेशन शुल्क के प्रस्ताव को प्राप्त करने के अवसर को खो दिया । ***(परिशिष्ट 4.2)***

अयोग्य निविदाकर्ता को कोल ब्लॉक का आवंटन

महान कोल ब्लॉक के निविदा पत्र (भाग–I) में यह उल्लेख किया गया था कि निविदाकर्त्ता को कोल खनन एवं कोल बेनेफिकेशन[19] का पिछले पॉच वर्षो का अनुभव होना चाहिये। इस शर्त की प्रतिपूर्ति में, सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस लि. ने सतही खनन[20] का चार वर्षो का अनुभव और कोल बेनेफिकेशन में सिर्फ दो वर्षो का अनुभव है।

हमने देखा कि कंपनी ने अगस्त 2005 में अमेलिया (नॉर्थ) कोल ब्लॉक के लिये जो कि खनन भण्डार की दृष्टि से महान कोल ब्लाक के ही समान है[21] के लिये रूचि की अभिव्यक्ति निविदा को आमंत्रित किया, अमेलिया (नॉर्थ) के निविदा प्रपत्र में पिछले तीन सालो में कम से कम 300 मिलियन टन कोल/मुख्य खनिज के उत्पादन के अनुभव की शर्त रखी गयी थी। सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस लि. ने भी अमेलिया (नॉर्थ) कोल ब्लॉक के लिये निविदा दी थी जो कि निविदा मूल्यांकन कमेटी ने (सितम्बर 2005) अस्वीकृत कर दी चूँकि सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस को सतही खनन का ही अनुभव था जिसे कोल खनन या उत्पादन व मुख्य खनिज के खनन का अनुभव के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता था । चूंकि अमेलिया कोल ब्लॉक[22] का खनन योग्य भण्डार, महान कोल ब्लाक के खनन योग्य भण्डार से कम से कम ढ़ाई गुना अधिक था। संयुक्त जोखिम अनुबंध का निष्पादन (जून 2005) करना, ऐसी फर्म के साथ संविदा करने से है जिसे वांछित अनुभव नही था ।

[17] आमेलिया कोल ब्लॉक में A से G ग्रेड का कोल है एवं महान कोल ब्लाक में C से G श्रेणी का कोयला है।

[18] संयुक्त अद्यम द्वारा चुकाई गई फीस (ईसमें लेवी, टैक्स पेन्टरी, सवारी शुल्क जो खदान के चलते पर लगता है, सम्मिलित नहीं है।

[19] खनन में कोल बैनिफिकेशन का तात्पर्य कच्चे अयस्क को खदान से बाहर निकालने से है, तथा उसे खनिज तथा अवशिष्ट के रूप में बांटने से है।

[20] सतह खनन, खनन का वह व्यापक वर्ग है। जिसमें मिट्टी व पत्थर जो की खनिज के ऊपर पड़े है, को हटाया जाता है।

[21] अमेलिया नार्थ कोल ब्लाक का खनन योग्य भण्डार 83.94 एम टी तथा महान कोल ब्लाक का खनन योग्य भण्डार 86.52 एम टी था।

[22] अमेलिया खनन योग्य भण्डार 287.96 एम.टी. थी।

4.11.3 खनन आरंभ होने में देरी

म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने 2005–06 से 2009–10 के बीच कोल मंत्रालय द्वारा आवंटित हुये 10 कोल ब्लॉको में से 9 कोल[23] ब्लॉको के लिये 9 संयुक्त जोखिम अनुबंधो का निष्पादन किया। कोल मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार संयुक्त जोखिम कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉको में उत्पादन आवंटन की तिथि से 36 महीनों (42 महीने यदि वन भूमि सम्मिलित है) में और खुली खदानों की दशा में व भूमिगत खदानो की दशा में 48 महीनों (54 महीनों जब खनन में वन भूमि हो) में उत्पादन आरंभ करना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त, दो सालो में अतिरिक्त समय अन–अण्वेषित व क्षेत्रिय अण्वेषित केन्द्रिय कोल ब्लॉको में उत्पादन आरंभ करने के लिये दिया गया था। आवंटन पत्रो की शर्तो व भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशा निर्देशो के अनुसार इन कोल ब्लॉको में उत्पादन जून 2009 से अप्रैल 2014 तक हो जाना चाहिये था (जो कि ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है) फिर भी उत्पादन किसी भी कोल ब्लॉक में पूरा नही हुआ है (दिसम्बर 2013) हमने पाया है कि पांच कोल ब्लॉको में दिसम्बर 2013 तक उत्पादन में देरी 13 से 56 माह थी, बचे हुये चार ब्लॉको की प्रगति भी सुस्त रही जिसमें उत्पादन अप्रैल 2004 में आरंभ होना था जिसके लिये कोल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कारण बताओं नोटिस भी जारी किये जा चुके थे (जनवरी 2014) ।

जैसा कि संयुक्त जोखिम अनुबंध में उल्लेखित है स्व–भूगर्भित प्रतिवेदन[24] को खरीदना, वन मंजूरी, पर्यावरण प्रबंध योजना मंजूरी, खनन मंजूरी और उत्पादन करने के लिये संयुक्त जोखिम कंपनियाँ जिम्मेदार थी। म.प्र.रा.ख.नि.लि. की भूमिका पर्यावरण एवं वन मंजूरी, खनन योजना एवं उसकी मंजूरी तथा खान को संचालित व व्यवस्थित करने के लिये जरूरी अन्य वैधानिक मंजूरियों को प्राप्त करने में संयुक्त क्षेत्र कंपनी की सहायता करना था। सभी आवंटित कोल ब्लॉको में जहाँ अनुमानित उत्पादन जुलाई 2009 और अप्रैल 2014[25] के बीच आरंभ होना था भूमि अर्जन में देरी, वन मंजूरी, खनन योजना का निर्माण एवं मजूंरी, ई.एम. पी. मंजूरी आदि के कारण समय का व्ययत हुआ जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है।

सिमरिया/पिपरिया कोल ब्लॉक का आवटंन रद्द होना

अंतर मंत्रिमण्डलीय समूह (आई.एम.जी.) ने (नवम्बर 2012) भारत सरकार के कोल ब्लॉक आवंटन–पत्र की शर्तो के अनुसार, भूगर्भिक प्रतिवेदन (जुलाई 2007) समय सीमा मे न खरीदने तथा कोल ब्लॉक के विकास से संबंधित लक्ष्यो की प्राप्ति में असफलता के कारण सिमरिया/पिपरिया कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की। सिफारिशों को स्वीकार करते हुये, भारत सरकार ने (जनवरी 2013) में सिमरिया/पिपरिया कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया तथा म.प्र.रा.ख.नि.लि. को यह भी सूचित किया गया कि रद्द किये गये कोल ब्लाक के बदले में कोई अन्य कोल ब्लॉक के आवंटन के लिये कंपनी पात्र नही होगी। कोल मंत्रालय ने 50 प्रतिशत बैंक गारंटी जो कि ₹ 1.14 करोड़ थी को भी जब्त करने का निर्णय लिया जो कि कोल ब्लॉक के विकास से सम्बन्धित थी। म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. ने (6 फरवरी 2013) बैंक गारंटी जब्तीकरण के खिलाफ और कोल ब्लॉक आवंटन को पुनः स्थापित करने के लिये एक समावेश याचिका, आदरणीय हाई कोर्ट, मध्यप्रदेश, जबलपुर में दायर की थी। बैंक गारंटी जब्तीकरण के खिलाफ, कंपनी को कोर्ट द्वारा 7 फरवरी 2013 को रोक की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। आवंटन रद्दीकरण के

[23] मोरगा कोल ब्लाक के लिये कोई संयुक्त जोखिम अनुबंध नहीं किया यह कोल ब्लाक विद्युत परियोजना के लिये आरक्षित था।

[24] भू–गर्भीय प्रतिवेदन किसी विशिष्ट कोल ब्लाक के भू–गर्भीय व खनन योग्य भण्डारों का विस्तृत प्रतिवेदन है।

[25] खनन प्रारंभ होने का दिनांक की गणना उस दिनांक से की जाती है। जब भूगर्भीय रिपोर्ट के साथ खदान आवाटंन पत्र तथा पर्यावरण प्रमाण पत्र होता है।

समय तक ₹ 5.74[26] करोड़ संयुक्त जोखिम कंपनी द्वारा खर्च किये जा चुके थे, कोल ब्लाक के विकास में जिसमें सुरक्षा निधि एवं बैक गारंटी यदि कोल आवंटन की पुनःस्थापना नही की गई तो उस पर दिये व्यय निष्फल हो जायेगे ।

हमने आगे पाया (जनवरी 2014) कि वाणिज्यिक उद्देश्यो हेतु आवंटित चार अन्य कोल[27] ब्लाक को सुस्त प्रगति के कारण कोल मंत्रालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किये जा चुके है । समय सीमा में संयुक्त जोखिम कंपनियों द्वारा उत्पादन में देरी के कारण कोल ब्लॉकों का आवंटन भी रद्द किया जा सकता है जिसमें म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. को और हानि हो सकती है ।

दक्षिण मण्डला कोयला ब्लॉक में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति में कमी

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने आवंटन की शर्तो के अनुसार, कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित 10 कोयला ब्लॉको के लिये विविध राशियों की बैक गारंटी कोयला मंत्रालय को प्रदान की । मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा कोयला मंत्रालय को दी गयी बैक गारंटी में से पचास प्रतिशत को उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित किया गया और यदि आवंटन पत्र की शर्तो के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति में चूक की दशा में आनुपातित कटौती करने का प्रावधान था । ऐसी कोई भी संबंधित शर्त मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा अपने आर्थिक हितो की सुरक्षा के लिये संयुक्त जोखिम अनुबंध में सम्मिलित नही की गई ।

25 जुलाई 2007 के आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार, दक्षिण मंडला कोयला ब्लॉक में उत्पादन जनवरी 2012 तक आरंभ होना था । अंतर–मंत्रालयीन समूह ने उपरोक्त कोयला ब्लॉक का परीक्षण किया (नवम्बर 2012) और पाया गया कि सारगर्भित वृद्धि हुई । अंतर–मंत्रालयीन समूह ने यद्यपि उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित की सिफारिश की । भारत सरकार ने अंतर मंत्रालयीन समूह की उपरोक्त सिफारिशो को स्वीकार किया (अप्रैल 2013) और बैक गारंटी से ₹ 0.36 करोड़ की कटौती की ।

हमने आगे पाया (जनवरी 2014) कि सात कोयला ब्लॉको[28] में धीमी प्रगति के कारण कोयला मंत्रालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया । जे.वी. अनुबंध में प्रभावी प्रावधान न होने के कारण मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड इस स्थिति में नही था कि बैक गारंटी के जब्त होने के कारण हुई हानि को जे.वी. साझेदार पर डाल सकें ।

4.11.4 नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही न होना

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, अमेलिया एवं अमेलिया (उत्तर) ब्लॉक में उत्पादन प्रारंभ होने में विलम्ब के कारण नगदी क्षतिपूर्ति को अधिरोपित करने में असफल रहा और जे.वी. अनुबंध में नगदी क्षतिपूर्ति सबंधी प्रावधान सम्मिलित करने में भी असफल रहा ।

अनुबंध की शर्तो के अनुसार, जे.वी. कंपनियाँ अमेलिया एवं अमेलिया (उत्तर) कोयला ब्लॉक में कोयले के उत्पादन में देरी की स्थिति में उध्दृत लागत के 0.20 प्रतिशत की दर से मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को नगदी क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है ।

हमने अभिलेखों के परीक्षण के दौरान पाया कि अनुबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, कोयले का उत्पादन प्रारंभ नही हो सका (30 जून 2013 तक)। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम ने इसके बावजूद अनुबंध की शर्तो के अनुसार ₹ 153.29 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.4)*** के नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही नही की।

[26] कुल निवेश ₹ 6.88 करोड़ – 50% (₹2.28 करोड का) (बैंक गारंटी राशि जो कोल मंत्रालय ने वापस की थी)
[27] मरकी बरका, बिचारपुर, मोरगा–III एवं मोरगा-IV कोल ब्लाक
[28] अमेलिया, अमेलिया (नार्थ), डोगरी ताल-II, मरकी बरका, बिचारपुर, मोरगा– III एवं IV कोयला ब्लॉक

हमने जे.वी. अनुबंध, के परीक्षण के दौरान पाया कि, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड छः कोयला ब्लॉको[29] के संदर्भ में जे.वी. अनुबंध में नगदी क्षति की उगाही की शर्त को शामिल करने में असफल रहा, जिनमें से तीन कोयला ब्लॉको[30] में (जून 2013 तक) जे.वी. अनुबंध की शर्तो के अनुसार उत्पादन प्रारंभ हो जाना चाहिये था ।

आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार जे.वी. अनुबंध में नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही की शर्त डालने में असमर्थ रहने के कारण, कंपनी उत्पादन में देरी की स्थिति में नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही नही कर सकी ।

4.11.5 भूगर्भिक प्रतिवेदन की खरीद में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय

जे.वी. कंपनी द्वारा दक्षिण मंडला व मरकी बरका कोयला ब्लॉको के संदर्भ में भूगर्भित प्रतिवेदन क्रय करने में विलम्ब के कारण ₹ 3.19 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

कोयला मंत्रालय ने दक्षिण मंडला कोयला ब्लॉक का आवटन मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को (25 जुलाई 2007) किया आवंटन पत्र[31] में अनुबंध किया गया कि कंपनी पत्र के निर्गमन के (7 सितम्बर 2007) के छः सप्ताह के अंदर सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) भूगर्भित प्रतिवेदन खरीदेगी । मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने संयुक्त जोखिम साझेदार के रूप में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को चयनित किया एवं उसे 13 अक्टूबर 2008 को प्रस्ताव निर्गमित किया । सी. एम.पी.डी.आई.एल. ने मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को भूगर्भिक प्रतिवेदन की लागत ₹ 9.29 करोड़) जो कि मार्च 2010 तक के लिये वैध थी से सूचित किया (10 नवम्बर 2008)। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने खनन योजना तैयार करने के लिये भूगर्भिक प्रतिवेदन पाने हेतु राशि जमा करने की सूचना जे.ए.एल. को दी (30 जनवरी 2009)।

हमने पाया कि जे.ए.एल. ने भूगर्भिक प्रतिवेदन की लागत को मार्च 2009 तक जमा नही किया । सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने पुनः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड से आग्रह किया व भूगर्भिक प्रतिवेदन की पुनरीक्षित क्रय लागत जो कि मार्च 2010 तक वैध थी, से सूचित किया (1 अक्टूबर 2009) जे.ए.एल. ने अन्ततः भूगर्भिक प्रतिवेदन की राशि 7 नवम्बर 2009 को जमा की अतः भूगर्भिक प्रतिवेदन के क्रय में देरी के कारण, जे.वी. कंपनी को ₹ 2.63 करोड़[32] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा ।

इसी तरह मरकी बरका कोयला ब्लॉक की स्थिति में, सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने (10 सितम्बर 2007) को भूगर्भिक ऑकडो की लागत ₹ 0.89 करोड़) की सूचना दी । जे.वी. कंपनी ने यघपि इसे अक्टूबर 2012 में 60 महिने की देरी से ₹ 1.45 करोड़ की अधिकतम लागत में खरीदा अतः कंपनी को ₹ 0.56 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा । लागत में वृद्धि जे.बी.कंपनियों के लाभ को प्रभावित करेगी साथ ही मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को भी क्योकि इसके पास जेवीकंपनियों के 51 प्रतिशत अंश है।

4.11.6 दण्डनीय ब्याज का भुगतान के फलस्वरूप परिहार्य दायित्व

जे.वी. कंपनी को अमेलिया कोयला ब्लॉक के संदर्भ में किराया भूमि के अधिग्रहण संदर्भ में पंचाट राशि के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 11.89 करोड़ के दण्डनीय ब्याज का दायित्व वहन करना पड़ा ।

जे.वी. कंपनी (एम.पी. सैनिक माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड) ने अमेलिया कोयला ब्लॉक के खनन एवं विकास हेतु कलेक्टर, सीधी से 380.93 हेक्टेयर किराया भूमि के अधिग्रहरण के लिये निवेदन किया (25 मई 2006) एवं भूमि की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत ₹ 3 करोड़ जमा किया । भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जे.वी.कंपनी के पक्ष में पंचाट जारी किया (13 नवम्बर 2009) एवं भूमि की लागत ₹ 31 करोड़ निर्धारित की। ₹ 28 करोड़ की शेष

[29] मरकी बरका, सिमरिया/पिपरिया, साऊथ मण्डला, बिचारपुर, मोरगा–III एवं IV
[30] डोगरी ताल II, सिमरिया/पिपरिया एवं साऊथ मण्डला
[31] आवंटन पत्र के अनुच्वेद 2 (VIII) के अनुसार
[32] ₹ 11.29 करोड़ – ₹ 9.29 करोड़

राशि जे.वी. कंपनी को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जारी पंचाट की तिथि से तीन महिने के अंदर भुगतान करना होगा । कलेक्टर ने जे.वी. कंपनी के आग्रह पर भूमि की लागत का पंचाट जारी करने के 90 दिन के बाद भुगतान करने हेतु समय सीमा में वृद्धि के लिये सहमति दी । क्योकि जे.वी. कंपनी ने राशि जमा नही की अतः कलेक्टर ने (7 नवम्बर 2012) ₹ 11.89 करोड़ ब्याज[33] सहित ₹ 40.20 करोड़ की मांग की, जो कि जे. वी. कंपनी द्वारा भूमि की लागत की राशि 90 दिनो के अंदर जमा न कर पाने के कारण ₹ 11.89 करोड़ अतिरिक्त दायित्व का भुगतान ब्याज के रूप में करना पड़ा । जे.वी.कंपनी की पूंजी लागत मे वृद्धि मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड जो कि जे.वी. कंपनी में एक बड़ा हिस्सा रखती है कि लाभ क्षमता में कमी आयेगी ।

4.11.7 दण्डनीय ब्याज से संबंधित परिहार्य व्यय

जे. वी. कंपनी द्वारा ऋणदाता के पक्ष में प्रतिपूर्ति के निर्माण में विलम्ब के कारण अमेलिया कोयला ब्लॉक के संदर्भ में ₹ 0.81 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान ।

जे.वी.कंपनी एम.पी.जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड ने अमेलिया कोयला ब्लॉक में भूमि के विकास, भवन के निर्माण एवं रेल्वे साईडिंग के लिये आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से ₹ 150 करोड़ के ऋण का आवेदन किया । बैक ने परियोजना के वित्तप्रबंधन के लिये ऋण की स्वीकृति (23 मार्च 2012) इस शर्त पर दी कि ऋणी प्रथम किश्त आहरण करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर प्रतिभूतियाँ उत्पन्न करेगा एवं उनमें सुधार करेगा । ऐसा करने मे असफल रहने की स्थिति में ऋण सुविधा को अदत्त राशि पर अतिरिक्त ब्याज दर, एक प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित अन्य वैधानिक उगाही, यदि कोई हो इस प्रकार की प्रतिभूति के उत्पन्न होने तक भुगतान करना होगा । कंपनी ने ₹ 105 करोड़ का आहरण तीन किश्तो[34] में किया । जे वी अनुबंध की शर्त के अनुसार अचल सम्पत्ति को बन्धक रखने से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने प्रथम संवितरण की तिथि से नौ माह के विलम्ब से बंधक रखने की अनुमति अप्रैल 2013 में प्रदान की । जिसके परिणामस्वरूप जे.वी. कंपनी 90 दिनों की निर्धारित अवधि में प्रतिभूतियों को उत्पन्न एवं उनका सुधार नही कर सकी, जिसके फलस्वरूप ₹ 81.29 लाख[35] परिहार्य दण्डनीय ब्याज का भुगतान करना पड़ा और जेवी कंपनी की पूंजी लागत में वृद्धि हुई ।

4.11.8 अर्थदण्ड से संबंधित परिहार्य व्यय

जे.वी. कंपनी का ₹ 49.79 लाख के अर्थदण्ड का भुगतान कृषि भूमि का उपयोग भवन निर्माण, घेरा दीवारी का निर्माण एवं विस्फोटन हेतु आयुधागार का निर्माण, हेतु बिना पूर्व अनुमति के करने के कारण, करना था ।

अमेलिया कोयला ब्लॉक (उत्तर) के अन्वेषण हेतु कुल भूमि की आवश्यकता 905.65 हेक्टेयर थी जिसमें निजी भूमि (137.46 हेक्टेयर) शासकीय भूमि (39.44 हेक्टेयर) एवं वन भूमि (728. 75 हेक्टेयर) सम्मिलित थी । मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार जे. वी. कंपनी को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये कृषि भूमि के उपयोग हेतु राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था लेकिन कंपनी ने बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये कृषि भूमि (27.66 हेक्टेयर) का उपयोग करना आरंभ कर दिया । संहिता के उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुये अनुविभागीय दण्डाधिकारी (देवसर तहसील, जिला सिंगरौली) ने ₹ 4.15 लाख का प्राब्याजि और ₹ 2.38 लाख प्रति वर्ष का मृत किराया भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिये अधिरोपित किया साथ ही जे.वी. कंपनी पर ₹ 49.79 लाख का अर्थदण्ड लगाया जिसे कंपनी द्वारा भुगतान किया गया (नवम्बर 2012) अतः राजस्व संहिता के प्रावधानो के अनुपालन में असफल रहने के कारण ₹ 49.79 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

[33] एक साल तक के विलम्ब के लिये 12 प्रतिशत की दर से तथा एक साल से अधिक विलम्ब के लिये 15 प्रतिशत के आधार पर गणित किया

[34] ₹ 50 करोड़ का पहला संवितरण – 13.06.2012

₹ 50.00 करोड़ का दूसरा संवितरण – 13.02.2013

₹ 05.00 करोड़ का तीसरा संवितरण – 22.03.2013

[35] मार्च 2013 तक

प्रकरण शासन को प्रेषित कर दिया गया (नवम्बर 2013) उनका जवाब प्रतीक्षित है (जनवरी 2014).

सामान्य

4.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी

4.12.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के विभागों के विभिन्न कार्यालयों में संधारित लेखाओं तथा अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ आरम्भ होकर संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते है। इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यपालन अधिकारियों से उचित एवं समय पर उत्तर प्राप्त करें। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने समस्त प्रशासनिक विभागों को अनुदेश (नवम्बर 1994) जारी किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट कण्डिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर सुधारात्मक/प्रतिकारी कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही दर्शाते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणियां विधान सभा के सम्मुख उनके प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) की कोई सूचना या बुलाने की प्रतीक्षा किये बिना प्रस्तुत करें।

यद्यपि, 2010–11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान–सभा में 12 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत कर दिया गया था । तीन विभागों, जिनके ऊपर टिप्पणियां की गई, 30 सितम्बर 2013 तक 03 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं किया था। वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में 11 जनवरी 2014 को प्रस्तुत कर दिया गया था। विभाग–वार विश्लेषण ***परिशिष्ट – 4.5*** में दिया गया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की अनुशंसा जो कि उनके प्रतिवदेनों में सन्निहित है, के उत्तर, कार्यवाही टिप्पणियों के रूप में कोपू द्वारा विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से छः माह के अन्दर प्रस्तुत करने होते है । कोपू की अनुशंसाओं के आधार पर 2012–13 के दौरान पन्द्रह कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई है ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर

4.12.3 लेखापरीक्षा के दौरान की गई तथा कार्यस्थल पर निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों कें अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती है । सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रमुखों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करने होते है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के 46 उपक्रमों से संबंधित मार्च 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 564 निरीक्षण प्रतिवदेनों से संबंधित 1514 कंडिकाएं सितम्बर 2013 के अंत तक बकाया थी जिनके उत्तर एक से आठ वर्षो तक नहीं दिये गये थे । 30 सितम्बर 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण ***परिशिष्ट – 4.6*** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएं एवं समीक्षाएं अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को छः

सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती है । पाँच समीक्षाएँ तथा ग्यारह प्रारूप कंडिकाएं विभिन्न विभागों को मई 2013 से अगस्त 2013 के मध्य अग्रेषित की गयी थी परन्तु अभी तक (जनवरी 2014) आठ प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर नहीं मिला जिसका वर्णन ***परिशिष्ट – 4.7*** में वर्णित है ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया विद्यमान है (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली करने के लिए समयबद्ध अनुसूची के अनुसार कार्यवाही की जाती है और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्धति को सशक्त बनाया गया है।

(डी. के. शेखर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

भोपाल
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक